

लोक-सुनवाई का वृत्त

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या: S.O. 1533, Dated 14.09.2006 यथा संशोधित के अनुपालन में बालू-घाटों से बालू का उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से उनकी टिप्पणी, विचार एवं सलाह प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। जिसके अनुपालन हेतु लोक सुनवाई संपन्न कराया जाता है।

मेसर्स श्रीमति पुष्पा सिंह, पिता: श्री प्रदीप सिंह, जयप्रकाश नगर, विशुनपुर नाला, धनबाद (झारखण्ड राज्य) द्वारा अरवल जिला स्थित सोन-08 (कामता बाथे-01), सोन नदी के तट पर बालू-घाट, मौजा/ग्राम: कामता बाथे, अंचल: कलेर, थाना: परासी में कुल 30.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 5,40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष बालू का उत्खनन के उद्देश्य से राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार, पटना में आवेदन समर्पित किया गया है। राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा तदनुसार Terms of Reference (TOR) आवेदक को उपलब्ध कराया है।

आवेदक द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सशुल्क आवेदन समर्पित करते हुए लोक सुनवाई संपन्न कराने का अनुरोध किया गया। तदनुसार दिनांक 28.07.2026 को अपराह्न 03:00 बजे से प्रखण्ड कार्यालय, कलेर, जिला: अरवल में अपर समाहर्ता, अरवल की अध्यक्षता में लोक सुनवाई संपन्न कराई गयी।

आहूत लोक सुनवाई में प्रखण्ड कार्यालय, कलेर के सभागार में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे:-

1. श्री रवि प्रसाद चौहान, अपर समाहर्ता, अरवल;
2. श्री अंजनी कुमार सिन्हा, सहायक पर्यावरण अभियंता; बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद मुख्यालय, पटना;
3. श्री सुशील कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कलेर, अरवल;
4. श्री उत्तम राहुल, अंचल अधिकारी, कलेर, अरवल;
5. सुश्री अभिलाषा गुप्ता, खान निरीक्षक, खनन कार्यालय, अरवल;
6. श्री नीतीश कुमार, पर्यावरणीय सलाहकार, मेसर्स एगिस एन्वायरोन्मेंट रिसर्च प्रा0लि0, पटना;
7. कामता, बैदराबाद, कामता मठिया, मेहदिया, महाबलीपुर, अरवल, महुआरी, लक्ष्मणपुर बात एवं कलेर अंचल के अन्य कुल 30-नागरिक (उपस्थिति सूची संलग्न)।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई आरम्भ करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं प्रस्तावित प्रभाव क्षेत्र के उपस्थित नागरिकों का स्वागत किया गया तथा उन्हें अवगत कराया गया कि प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना के तहत निर्गत Terms of Reference (TOR) के अनुरूप बालू उत्खनन, इनके उठाव एवं परिवहन के दौरान उत्पन्न जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण रोक-थाम हेतु आवेदक द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कराया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त उपस्थित नागरिकों को विभिन्न प्रदूषण से संबंधित अन्य कठिनाईयों अथवा अन्य सुझाव, टिका-टिप्पणी एवं अपना विचार रखने का मौका प्रदान किया जायेगा।

प्रासंगिक परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार से अनुरोध किया कि राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्गत Terms of Reference (TOR) के तहत तैयार किये गये कार्यकारी सारांश एवं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में संभावित जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु किये गये प्रावधानों के संबंध में उपस्थित नागरिकों को सविस्तार अवगत कराया जाय।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा यह सूचित किया कि नदी से बालू का उत्खनन मात्र तीन मीटर गहराई तक ही किया जायेगा। बालू का उठाव एवं परिवहन हेतु PUC प्रमाण पत्र प्राप्त वाहनों को ही उपयोग में लाया जायेगा। बालू घाट से मुख्य पथ तक पहुँचने वाले पथ के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य, नियमित जल छिड़काव एवं साफ-सफाई करायी जायेगी। बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से पूर्णतः ढक कर ही परिवहन का कार्य किया जायेगा। निर्धारित अवधि में वायु प्रदूषण एवं भू-तल जल के स्तर का अनुश्रवण किया जायेगा तथा संबंधित विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

पर्वद अभियंता द्वारा तदोपरान्त उपस्थित नागरिकों से अपना विचार, टिका-टिप्पणी एवं सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। निम्नलिखित नागरिकों द्वारा अपना विचार/सुझाव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया:-

क्रमांक	ग्रामीण का नाम/पता	सुझाव/प्रतिक्रिया	दिये गये उत्तर
1.	श्री संजय यादव, पिता: स्व० वृजेन्द्र यादव, ग्राम+पो०: कामता, थाना: परासी, जिला: अरवल मो० नं०: 9708964632	नदी से बालू का उठाव एवं परिवहन के दौरान धूल-कण का उत्सर्जन होता है। जिससे खेतों का फसल प्रभावित होता है।	पर्यावरणीय सलाहकार ने सूचना दी कि बालू से भरे सभी वाहनों को तिरपाल द्वारा पूर्ण रूप से ढक कर ही परिचालन की अनुमति दी जायेगी। परिचालन पथ पर नियमित जल का छिड़काव किया जायेगा तथा सड़क के किनारे-किनारे वृक्षारोपण किये जायेंगे। इससे धूल-कण के उत्सर्जन की रोक-थाम की जा सकेगी।
2.	श्री शालीग्राम सिंह, पिता: स्व० बालेश्वर सिंह, ग्राम+पो०: कामता मठिया, थाना: परासी, जिला: अरवल मो० नं०: 9234650598	वाहन परिचालन पथ एवं बालू उठाव स्थल पर जल का छिड़काव नियमित रूप से कराया जाय तथा वृक्षारोपण भी करवा जाय।	पर्यावरणीय सलाहकार ने सूचना दी कि परिचालन पथ एवं बालू उठाव स्थल पर नियमित जल का छिड़काव किये जाने की व्यवस्था प्रासंगिक परियोजना में की गयी है। इसका अनुपालन पट्टा स्वामी द्वारा किया जायेगा।
3.	श्री अर्जुन कुमार, पिता: श्री सुरेन्द्र पासवान, ग्राम+पो०: कामता मठिया, थाना: परासी, जिला: अरवल मो० नं०: 6299952340	वाहन परिवहन पथ पर नियमित जल का छिड़काव आवश्यक है, ताकि धूल-कण हवा में न उड़े तथा स्थानीय लोगों को वायु प्रदूषण की समस्या न हो।	पर्यावरणीय सलाहकार ने सूचना दी कि परिचालन पथ एवं बालू उठाव स्थल पर नियमित जल का छिड़काव किये जाने का प्रस्ताव प्रासंगिक परियोजना में दी गयी है। जिसका अनुपालन पट्टा स्वामी द्वारा किया जायेगा।
4.	श्री जितेन्द्र सिंह, पिता: स्व० भरत सिंह, ग्राम+पो०: कामता मठिया, थाना: परासी, जिला: अरवल मो० नं०: 9955518693	बालू के उठाव एवं वाहनों के परिवहन से धूल-कण के उत्सर्जन की समुचित रोक-थाम की व्यवस्था कराया जाय। प्रभाव क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों को रोजगार दिया जाय।	पर्यावरणीय सलाहकार ने सूचना दी कि बालू उत्खनन परियोजना में स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने की प्राथमिकता की गयी है एवं धूल-कण के उत्सर्जन की रोक-थाम हेतु वृक्षारोपण, नियमित जल छिड़काव एवं वाहनों को पूर्णतः ढक कर परिचालन की व्यवस्था प्रस्ताव में की गयी है।

5.	श्री अभिषेक कुमार, पिता: श्री धनेश्वर प्रसाद, ग्राम: लक्ष्मीपुर बाथे, पो0: कामता, थाना: परासी, जिला: अरवल मो0 नं0: 8409328359	बालू उत्खनन परियोजना के कारण प्रायः यह देखा गया है कि भू-जल तल नीचे भाग जाता है। जिससे स्थानीय नागरिकों को जल की समस्या होने लगती है। इस संबंध में परियोजना में क्या व्यवस्था की गयी है।	पर्यावरणीय सलाहकार ने सूचना दी कि प्रभाव क्षेत्र का वैज्ञानिक जाँच कराया गया है। जाँच से यह पता चला है कि बालू उत्खनन से भू-जल के तल का नीचे जाने की व्यवस्था की रोक-थाम हेतु बालू का उत्खनन मात्र तीन मीटर गहराई तक ही किया जायेगा। फिर भी निर्धारित समय पर इसकी जाँच करायी जायेगी।
----	---	---	---

तदोपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा प्रासंगिक प्रस्ताव को स्वीकृत करने एवं प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को अग्रेसारित करने हेतु स्थानीय नागरिकों से उनका विचार रखने को कहा गया। उपस्थित नागरिकों द्वारा हाथ उठाकर ध्वनि मत से प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति दी गयी।

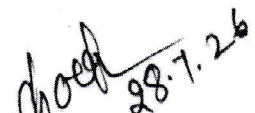
लोक-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना विचार/सलाह देने हेतु उपस्थित नागरिकों एवं पदाधिकारियों को पर्षद के अभियंता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों की सहमति से प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को अग्रेसारित करने की एतद् द्वारा अनुशंसा की जाती है।


28.07.26

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सहायक पर्यावरण अभियंता,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना


28.7.26
(रवि प्रसाद चौहान)
अपर समाहर्ता, अरवल

उपस्थिति सूची

मेसर्स श्रीमति पुष्पा सिंह, पिता: श्री प्रदीप सिंह, पता: जय प्रकाश नगर, विशुनपुर नाला, धनबाद, झारखंड-826001 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-08 (कामता बाथे-01), बालू घाट, मौजा- कामता एवं बाथे, पोस्ट-कमता, थाना-परासी, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 28.07.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, कलेर, जिला-अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	रवि प्रसाद चौहान	अरवल एन.ए. हा. अरवल	Choudhary 28/7/26
2.	अंजनी कुमार सिन्हा	सहायक पर्यावरण अधिकारी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना	 28/07/26
3.	उत्तम राहुल	डिप्टी कमिश्नरी कलेर	3 28/7/26
4.	नीतीश कुमार	Aegis Env. Res. Pvt. Ltd. (Env. Consultant)	Nitesh Kumar
5.	Sushil Kumar	R.D.O. Kaler	S 28/07/26
6.	Ashilasha Gupta	Mines Inspector	Ashish Gupta 28.07.2026
7.	Sonali Sinha	Env. Consultant	Sonali
8.	राज कुमार	ग्राम+पौ. कामता थाना-परासी जिला-अरवल	Raj Kumar
9.	Ritu Kumar	Vill- Kamta Mathiya P.S- Parasi Dist Arwal	

10.	कृष्णानन्द प्रसाद	ग्री + पी. वेदरावाय अरवल	<u>148</u> 28.7.26
11.	श्री लीकराज सिंह	ग्री कामरा महारा	28/7/26
12.	Anil Kumar	Vill - moud m.r.	Anil Kumar 28/7/26
13.	दिनेश. बिह	कामरा	दिनेश बिह
14.	Rahul singh	Kamata	Rahul singh
15.	Rama Kant Kumar	Kamata	Rama Kant Kumar
16.	Saurav	Kamata	Saurav
17.	~~Ram Kumar~~	Arwal	~~Ram Kumar~~
18.	Asat Kumar	Arwal	Asat Kumar
19.	Asat Kumar	Arwal	Asat Kumar
20.	Ritik Ransham	MAHARI	Ritik Ransham

21.	रंजीत कुमार राय	अरवल	Ranjit Kumar RS
22.	Kambh Kunt	Arwal	Kambh Kunt.
23.	Arum Kumar Sharma	Arwal.	AR
24.	Arum Kumar	Arwal	Arum Kumar
25.	Mukesh Kumar	Kamta	<u>M</u>
26.	मनीष	काथ	मनीष कुं
27.	राम बाबू शर्मा	चौधरी राम ०	राम बाबू शर्मा
28.	Sugandh Kumar	Bathe	Sugandh Kumar
29.	AVISHEKH KUMAR	Laxman pur bath	Anishekh Kuma
30.	Praveen Kumar	Kamta.	Praveen Pr.
31.			1


28.07.26